

कृषक,

सहायक अभियन्ता (ल०सि०)  
सीतापुर।

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड,  
बिसवा-सीतापुर।

पत्रांक 1199 / ल०सि० / भण्डार / 2023-24  
महोदय,

दिनांक- 31.03.2023

वित्तीय वर्ष 2022-23 में लघु सिंचाई विभाग द्वारा इस पत्र के साथ संलग्न सूची के लाभार्थियों की मध्यम गहरी बोरिंग करायी गयी है। जिनकी बोरिंग पर विद्युतीकरण हेतु आपके कार्यालय में अनुदान की धनराशि हस्तान्तरित की गयी है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा विद्युतीकरण हेतु संलग्न सूची में प्रति लाभार्थी मु० रू० 68,000.00 की धनराशि अनुदान स्वरूप आपके विभाग में स्थानान्तरित कर दी गयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है। कृपया उक्त धनराशि से विद्युतीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुये समायोजन अधोहरताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आपको प्रेषित की गयी धनराशि संलग्न सूची में अंकित कृषक के खाते में ही समायोजित की जायेगी।

संलग्नक:- सूची लाभार्थियों की सं० 13 धनराशि रू० 8,84,000.00 जिसका UTR NO. RB10902380153724

Date 30.3.23 & UTR Copy

भवदीय

सहायक अभियन्ता (ल०सि०)  
सीतापुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सम्बन्धित कृषक
- 2 अधिशाली अभियन्ता लघु सिंचाई खण्ड सीतापुर।

सहायक अभियन्ता (ल०सि०)  
सीतापुर।

वैशेषिक वर्ष 2022-23 में अधिरासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-बिसवा को मध्यम गहरे नलकूप योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु अनुदानित धनराशि की सूची का प्रेषण

क्रम सं०	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	विकासखण्ड	कृषक की श्रेणी	अनुदानित धनराशि
1	श्री जयगोपाल मिश्र	श्री सुरज प्रसाद	सरवाहनपुर	बिसवा	सामान्य	68000.00
2	श्री रमेश	श्री प्रभू प्रसाद	कटिया	बिसवा	सामान्य	68000.00
3	श्री हरेज कुमार	श्री जलजी प्रसाद	निर्मिता गाडी	बिसवा	सामान्य	68000.00
4	श्री विजय कुमार	श्री गोकुलदीन	नौतजपुर	बिसवा	सामान्य	68000.00
5	श्रीमती अरुणा वर्मा	श्री सचिन वर्मा	बुलगाँव	बिसवा	सामान्य	68000.00
6	श्री ऐजविहारी	श्री मुन्ध	सहनिवापुर	हरवाव	सामान्य	68000.00
7	श्री इराम सुन्दर	श्री जिवदलाल	सोनी बतमदपुर	हरवाव	सामान्य	68000.00
8	श्री रमेश चन्द वर्मा	श्री श्रीराम वर्मा	मुल्तानपुर	हरवाव	सामान्य	68000.00
9	श्री सोनल रिहल लोकर	श्री मूलान रिहल लोकर	गणपुर	हरवाव	सामान्य	68000.00
10	श्रीमती इतनी देवी	श्री महावीर भीर	नरखोटी	परखोटी	सामान्य	68000.00
11	श्री सचिदेवान भीर	श्री जलकलम भीर	नरखोटी	परखोटी	सामान्य	68000.00
12	श्री मो० इरार	श्री बालुलाल	अगरासी	परखोटी	सामान्य	68000.00
13	श्रीमती निशा देवी	श्री राजप्रसाद	पयसोई	परखोटी	सामान्य	68000.00

884000.00

*(Signature)*  
 Officer in Charge  
 Sitapur

नलकूप व पम्पसेट के लिए/बिजली के लिए आवेदन पत्र



सेवा में

सहायक/अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण उपखण्ड/खण्ड(प्र0)

1. (क) प्रार्थी का नाम व पता रमेश-चंड  
(ख) पिता का नाम प्रभू-दयाल  
(ग) नाम ग्राम जिसमें बिजली लेना है परिया गजरा खोटा
2. बिजली की शक्ति की मात्रा जिसके लिए आवेदन नलकूप हार्स पावर 7.5kW  
प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है।
3. प्रार्थी का एकड़ों में वह क्षेत्र जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी 0.255  
जमीन के टुकड़ों का पूरा विवरण उनका क्षेत्रफल 0.255  
संख्या स्थित आदि का पूरा विवरण.....
4. इन्तखाब की नकल संलग्न की गई। है
5. क्या नलकूप की बोरिंग खुदाई से की गई है
6. नलकूप की बोरिंग का खण्ड विकास अधिकारी है  
का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया।
7. इससे पूर्व कृषि योग्य भूमि की सिंचाई किस साधन से की जाती है डीजल पंप
8. प्रार्थी के क्षेत्र तथा निकटवर्ती नहर के बीच की दूरी  
यदि किसी नलकूप नहर की 100 मी0 की दूरी से कम स्थिति है तो नहीं  
बिजली की स्वीकृति के लिए अन्नोत्पत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न होगा।
9. नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे 200m  
की दूरी यदि कोई हो।
10. पाइप का व्यास चलनी(स्टेनर) की लम्बाई 1.50m  
बेरिंग(खुदाई) की गहराई स्रोत की सतह  
पहले पहले पानी फूटने की सतह की गहराई 2.50m  
संलग्नक: खसरा खतौनी/जोत बही छाया प्रति प्रमाणित।

*Handwritten notes and signatures in the left margin:*  
प्रमाणित  
नलकूप तकनीकी तौर पर दिया जा सकता है। यह सोपान स्कीम में होगा तथा  
फीडर से दिया जायेगा/प्रस्तावित कृषक पर या परिवार के सदस्यों पर विद्युत  
सम्बन्धी कोई बकाया नहीं है। सिंचाई का कार्य डीजल पंप द्वारा किया जाता है।  
अवर अभियन्ता  
उपखण्ड अधिकारी की आख्या

प्रार्थी के हस्ताक्षर  
पत्र व्यवहार का पता  
रमेश-चंड

उपखण्ड अधिकारी की आख्या

कृषक का नलकूप तकनीकी तौर पर दिया जा सकता है। यह सोपान स्कीम में होगा तथा  
11 के0वी0 200m फीडर से दिया जायेगा/प्रस्तावित कृषक पर या परिवार के सदस्यों पर विद्युत  
सम्बन्धी कोई बकाया नहीं है। सिंचाई का कार्य डीजल पंप द्वारा किया जाता है।

अवर अभियन्ता

उपखण्ड अधिकारी

निजी नलकूप के प्रस्तावित स्थल गाटा संख्या 552 में बोरिंग चालू हालत में है तथा  
सिंचाई का कार्य डीजल चालित इंजन से किया जा रहा है। बोरिंग है नया नल कूप वीजन 7.5kW  
अ0श0 देने की संस्तुति की जाती है।

खण्ड विकास अधिकारी  
विकास खण्ड

*Handwritten signature:*  
J. E. M. I.